मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XV | अंक 2 | अगस्त 2019

विषयवस्तु

	खंड	पृष्ठ
i.	रिजर्व बैंक केन्द्रीय बोर्ड ने अधिशेष की राशि सरकार को अंतरित करने के लिए अनुमति दी	1
ii.	रिज़र्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की	1
iii.	मौद्रिक नीति	1
iv.	बैंकिंग विनियमन	2
v.	वित्तीय समावेशन	3
vi.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
vii.	अनुसंधान	4
viii.	विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम रूपरेखा	4
ix.	ऑफशोर रुपया बाजार पर कार्य बल	4
x.	रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधनतंत्र का भाषण	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका माह अगस्त में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in से साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. रिजर्व बैंक केन्द्रीय बोर्ड ने अधिशेष की राशि सरकार को अंतरित करने के लिए अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) केन्द्रीय बोर्ड ने दिनांक 26 अगस्त 2019 को भारत सरकार को 1,76,051 करोड़ की राशि अंतरित करने का निर्णय किया है, जिसमें वर्ष 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ राशि का अधिशेष और केंद्रीय बोर्ड की आज की बैठक में स्वीकृत संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के अनुसार अतिरिक्त प्रावधान के रूप में निर्धारित 52,637 करोड़ की राशि शामिल हैं। यह डा. बिमल जालान की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं ।

समिति की सिफारिशें इस तथ्य से निर्देशित थी कि रिज़र्व बैंक मौद्रिक, वित्तीय और बाहरी स्थिरता के लिए प्राथमिक सुरक्षा के उपाय करता है। इसलिए, रिज़र्व बैंक के लचीलेपन को अपने सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए और अन्य केंद्रीय बैंकों के स्तर से उसे अपने आप को ऊपर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक केंद्रीय बैंक होने के कारण उससे यही उम्मीद की जाती है। समिति की पूरी रिपोर्ट को यहां क्लिक करके एक्सेस किया जा सकता है।

II. रिज़र्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की

रिजर्व बैंक ने 29 अगस्त 2019 को 2018-19 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जो रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक सांविधिक रिपोर्ट है । रिपोर्ट को यहां क्लिक करके साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

III. मौद्रिक नीति

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2019-20

III) क मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति ने दिनांक 7 अगस्त 2019 की अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि

i. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 5.75 प्रतिशत से 35 आधार अंक कम करके 5.40 प्रतिशत किया जाए।

ii. परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 5.15 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.65 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।

एमपीसी ने मौद्रिक नीति के उदार रुख को बनाए रखने का भी निर्णय लिया है।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III) ख विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

1. स्ट्रिपिंग / पुनर्गठन सुविधा का प्रारंभ

एसडीएल के लिए गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों और एग्रीगेटर्स / फैसिलिटेटर्स की योजना को प्रारंभ करना इस दिशा में किए गए रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कुछ प्रयास हैं। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, एसडीएल

के लिए स्ट्रिपिंग / पुनर्गठन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह उपाय संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यान्वित किया जाएगा।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली

i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली की चौबीस घंटे उपलब्धता जैसा कि भुगतान प्रणाली विजन 2021 दस्तावेज़ में उल्लिखित है, रिज़र्व बैंक दिसंबर 2019 से 24×7 आधार पर एनईएफटी प्रणाली उपलब्ध कराएगा। इससे देश की खुदरा भुगतान प्रणाली में क्रांति आने की उम्मीद है।

ii) भारत बिल भुगतान प्रणाली के लिए बिलर श्रेणियों का विस्तार

बीबीपीएस का लाभ उठाने और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, बिलर्स की सभी श्रेणियों (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो स्वैच्छिक आधार पर बीबीपीएस में भाग लेने के लिए आवर्ती बिल भुगतान प्रदान करते हैं।

iii) खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए 'मांग पर' प्राधिकरण

यह निर्णय लिया गया है कि संस्थाओं को, जो भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई (बीबीपीओयू); ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरइडीएस); और वाईट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करने/ संचालित करने/ के लिए इच्छुक है, 'मांग पर' प्राधिकरण देने का प्रस्ताव दिया जाए।

iv) केंद्रीय भुगतानों धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री का निर्माण

यह प्रस्ताव है कि एक केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी रजिस्ट्री के निर्माण की सुविधा प्रदान की जाए जो इन धोखाधड़ी को ट्रैक करेगा। भुगतान प्रणाली के प्रतिभागियों को निकट-समय पर धोखाधड़ी की निगरानी के लिए इस रजिस्ट्री तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

3. बैंकिंग विनियमन, वित्तीय समावेशन और एनबीएफसी को क्रेडिट प्रवाह

i) उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम भार में कमी

समीक्षा करने पर, व्यक्तिगत ऋण सहित उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम वजन को, लेकिन क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को छोड़कर, 100% तक कम करने का निर्णय लिया गया है।

ii) एनबीएफसी क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के उपाय

अब निम्नानुसार एनबीएफसी क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए और उपाय करने का निर्णय लिया गया है:

❑ सामान्य एनबीएफसी के साथ प्रतिपक्षीय एक्सपोज़र सीमा के सामंजस्य के लिए एक कदम के रूप में, बैंक की एक्सपोजर सीमा को सिंगल एनबीएफसी के लिए बैंक की टीयर- I पूंजी के 20% तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

❑ कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जो निर्यात और रोजगार के मामले में आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, में ऋण प्रवाह को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से, और इन क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने में एनबीएफसी द्वारा निभाई गई भूमिका की पहचान करते हुए, कुछ शर्तों के अधीन, यह निर्णय लिया गया कि, कृषि को ऋण देने के लिए पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को बैंकों द्वारा दिए गए 10.0 लाख तक के ऋण (निवेश ऋण); सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20.0 लाख तक और प्रति उधारकर्ता को 20.0 लाख (वर्तमान में 10.0 लाख से ऊपर) तक के ऋणों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी जाए। पूर्ण वक्तव्य कि जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

III) ग मौद्रिक नीति समिति बैठक के कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5-7 अगस्त 2019 को आयोजित होने वाली तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के कार्यवृत्त को 21 अगस्त 2019 को सार्वजनिक स्तर पर जारी किया। बैठक में सभी सदस्य डॉ. चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान; डॉ. पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल; और डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद; डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, कार्यपालक निदेशक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी(2)(सी) के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित रिज़र्व बैंक का अधिकारी); श्री बिभू प्रसाद कानूनगो, उप-गवर्नर, प्रभारी मौद्रिक नीति उपस्थित हुए और इसकी अध्यक्षता श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर द्वारा की गई। मौद्रिक नीति समिति ने उपभोक्ता विश्वास, परिवार मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र का कार्यनिष्पादन, क्रेडिट स्थिति, औद्योगिक, सेवा और बुनियादी सुविधा क्षेत्रों की संभावना तथा व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा करवाए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। उपर्युक्त पर और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक चर्चा करने के बाद एमपीसी ने संकल्प अपनाया। एमपीसी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को कम करने और मौद्रिक नीति के समायोजन रुख को बनाए रखने के लिए मतदान किया। चार सदस्यों (डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र, श्री बिभू प्रसाद कानूनगो और श्री शक्तिकांत दास) ने नीतिगत रेपो दर को 35 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया, जबकि दो सदस्यों (डॉ. चेतन घाटे और डॉ. पामी दुआ) ने पॉलिसी रेपो दर को 25 आधार अंकों तक कम करने के लिए मतदान किया गया। यहां तक कि पिछली दर में कटौती को धीरे-धीरे वास्तविक अर्थव्यवस्था में संप्रेषित किया जा रहा है, सौम्य मुद्रास्फीति दृष्टिकोण नकारात्मक उत्पादन अंतर को समाप्त करने के लिए नीतिगत कार्रवाई के लिए अवसर प्रदान करता है। विकास चिंताओं का विचार करते हुए इस मोड़ पर मुद्रास्फीति की दर के अनुरूप रहकर सकल मांग, विशेष रूप से निजी निवेश को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। अधिक जानकारी हेतु यहां क्लिक करें।

IV. बैंकिंग विनियमन

IV) क पीएसएल के तहत ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा एनबीएफसी को ऋण देना

जैसा कि 7 अगस्त 2019 को 2019-20 के लिए तीसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति के साथ जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि आगे उधार दिए जाने हेतु पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को बैंक ऋण निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित श्रेणियों के तहत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

i. कृषि : कृषि के तहत 'मियादी ऋण' घटक के लिए एनबीएफसी द्वारा आगे उधार दिए जाने हेतु प्रति उधारकर्ता ₹10 लाख तक की अनुमति दी जाएगी।

ii. सूक्ष्म और लघु उद्यम : एनबीएफसी द्वारा आगे उधार दिए जाने हेतु प्रति उधारकर्ता ₹20 लाख तक की अनुमति दी जाएगी।

iii. आवास : प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार पर जारी हमारे मास्टर निदेश के पैरा 10.5 के अनुसार एचएफसी द्वारा आगे उधार दिए जाने हेतु मौजूदा सीमाओं को बढ़ाकर ₹10 लाख प्रति उधारकर्ता से ₹20 लाख प्रति उधारकर्ता किया गया है। आगे उधार दिए जाने हेतु एनबीएफसी को बैंक ऋण, व्यक्तिगत बैंक की कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के पांच प्रतिशत की सीमा तक जारी करने की अनुमति होगी। हालांकि, ऑन-लेंडिंग मॉडल के तहत संवितरित ऋणों को चुकौती / परिपक्वता की तारीख तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

V. वित्तीय समावेशन

मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हेतु ब्याज सबवेंशन योजना

बैंकों को सूचित किया जाता है कि ब्याज सबवेंशन योजना के अंतर्गत किसानों को झंझट रहित लाभ प्राप्त होने को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018-19 और 2019-20 में मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए अल्पावधि ऋण लेने हेतु आधार लिंकेज को अनिवार्य किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अगस्त 2019 को सूचित किया कि भारत सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा दिए जाने हेतु दो वर्ष अर्थात 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए ब्याज सबवेंशन योजना से संबंधित परिचालनगत दिशा-निर्देश निम्नलिखित शर्तों के साथ जारी किया है :

i. ₹ 2 लाख तक के अल्पावधि ऋण प्रदान करना
मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल किसानों के लिए।

ii. ऐसे किसान, जो समय पर अर्थात कार्यशील पूंजी ऋण के संवितरण की तारीख से किसानों द्वारा वास्तविक भुगतान की तारीख तक या बैंक द्वारा फसल ऋण की चुकौती के लिए निर्धारित नियत तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, संवितरण तारीख से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन, अपने ऋण को चुकाते हैं, को प्रति वर्ष 3% का अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा।

iii. बैंकों को सूचित किया जाता है कि ब्याज सबवेंशन योजना के अंतर्गत किसानों को झंझट रहित लाभ प्राप्त होने को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018-19 और 2019-20 में मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए अल्पावधि ऋण लेने हेतु आधार लिंकेज को अनिवार्य किया जाए।

ब्याज सबवेंशन योजना को 'इन काइंड/सर्विसेस' के आधार पर डीबीटी मोड पर रखा जा रहा है तथा वर्ष 2018-19 में प्रसंस्कृत सभी अल्पावधि ऋणों को आईएसएस पोर्टल/डीबीटी प्लैटफ़ार्म पर लाया जाना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VI. भुगतान और निपटान प्रणाली

VI) क निः:शुल्क एटीएम लेनदेन – स्पष्टीकरण

रिज़र्व बैंक ने 14 अगस्त 2019 को एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें स्पष्ट किया कि कि ऐसे लेनदेन जो तकनीकी कारणों जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संचार संबंधी समस्याओं; एटीएम में करेंसी नोटों की अनुपलब्धता; और अन्य विफल लेनदेन जिनके लिए बैंक / सेवा प्रदाता को सीधे तौर पर / पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; अमान्य पिन / सत्यापन; इत्यादि को ग्राहक के लिए वैध एटीएम लेनदेन के रूप में नहीं गिना जाएगा। परिणामतया कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। गैर- नकद आहरण लेनदेन जैसे कि बैलेंस एनक्वायरी, चेक बुक संबंधी अनुरोध, करों का भुगतान, निधि अंतरण आदि, जो 'ऑन-अस' लेनदेन कहलाता है वह भी निःशुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या का हिस्सा नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VI) ख कार्डों पर ई-मेंडेट का प्रसंस्करण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 अगस्त 2019 को ई- मेंडेट पंजीकरण, संशोधन और निरसन के दौरान, साथ ही कुछ निश्चित शर्तों के अधीन पहले लेनदेन, और बाद के कुछ सरल और स्वचालित स्थितियों में आवर्ती लेनदेन (मर्चेंट भुगतान) के लिए कार्ड पर ई-मेंडेट के प्रसंस्करण की अनुमति देने का निर्णय लिया। इस व्यवस्था के तहत लेनदेन के लिए अधिकतम अनुमेय सीमा ₹ 2,000/- है। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

VI) ग प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करना और उनका परिचालन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और उनका परिचालन करने के संबंध में जारी किए गए दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के मास्टर दिशानिर्देश डीपीएसएस.सीओ.पीडी. सं.1164/02.14.006/2017-18 में संशोधन का निर्णय किया। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि न्यूनतम विवरण वाली पीपीआई को केवाईसी अनुपालन वाली पीपीआई में परिवर्तित करने के लिए समय सीमा को 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दिया गया है। पीपीआई मास्टर दिशानिर्देश में यथोचित संशोधन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VI) घ प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) उपकरणों पर नकद आहरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2009, 5 सितंबर 2013 और 27 अगस्त 2015 को कार्ड-धारक द्वारा प्वाइंट-ऑफ-सेल उपकरणों पर नकद आहरण के लिए अपने परिपत्रों में जारी निर्देशों को दोहराया है। परिपत्रों में उल्लिखित निर्देश नकद निकासी की सीमा I और II केंद्रों में ₹ 1000/- प्रति दिन और टीयर III और VI केंद्रों में ₹ 2000/- तक प्रति दिन सीमित है और नकद आहरण पर ग्राहक प्रभार, यदि कोई हों तो वे सभी केन्द्रों पर लेनदेन की राशि के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VI) ड़ आरटीजीएसम परिचालन समय में वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 अगस्त 2019 से ग्राहकों और बैंकों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली के परिचालन को पूर्वाह्न 7:00 बजे से आरंभ करने का निर्णय लिया। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VII. अनुसंधान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्वानुमान सर्वेक्षणों को जारी किया

i) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के जुलाई 2019 दौर के परिणाम जारी किए,जो उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया पर आधारित है। यह सर्वेक्षण 13 शहरों– अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नै, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और तिरुवनंतपुरम में कराया गया था–और इस सर्वेक्षण में परिवारों से सामान्य आर्थिक परिस्थितियों, रोज़गार परिदृश्य, मूल्य स्तर, परिवारों की आय और व्यय पर उनकी भावनाओं के संबंध में 5351 प्रतिक्रिया ली गई। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

ii) समष्टि आर्थिक संकेतकों पर व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ता सर्वे क्षण

रिज़र्व बैंक सितंबर 2007 से व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं (एसपीएफ) का सर्वेक्षण कर रहा है। जुलाई 2019 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के 59 वें दौर में बत्तीस पैनेलिस्टों ने भाग लिया। मुख्य चर के लिए सर्वेक्षण के परिणामों को उनके तिमाही पूर्वानुमानों के साथ–साथ उनके औसत पूर्वानुमानों के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम प्रतिवादी पूर्वानुमानकर्ताओं के विचार दर्शाते हैं और किसी भी तरह से भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों या पूर्वानुमानों को नहीं दर्शाते हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

iii) विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल–जून 2019 की संदर्भ अवधि के लिए औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण (आईओएस) के 86वें दौर का परिणाम जारी किया। सर्वेक्षण में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 2019–20 की पहली तिमाही के लिए कंपनियों द्वारा कारोबारी भावनाओं के गुणात्मक आकलन और 2019–20 की दूसरी तिमाही के लिए उनकी अपेक्षाओं को समझाया गया है। सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाएँ उत्तरदाताओं से प्राप्त हैं और जरूरी नहीं कि ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार हो। सर्वेक्षण के इस दौर में 1,231 कंपनियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

iv) मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण

रिजर्व बैंक ने जुलाई 2019 दौर के मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं के सर्वेक्षण (आईईएसएच) के परिणाम जारी किए। सर्वेक्षण 18 प्रमुख शहरों में आयोजित किया गया था और इसके परिणाम 5,870 शहरी परिवारों के प्रत्युत्तरों पर आधारित हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

v) विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी–मार्च 2019 की तिमाही के लिए अपनी आदेश बहियों, माल–सूचियों और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के 45वां दौर का परिणाम जारी किया। इसमें 843 विनिर्माण कंपनियों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थितियों का एक स्नैपशॉट दिया गया है। सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएँ स्वैच्छिक हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VIII. विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम रूपरेखा

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 13 अगस्त 2019 को अपनी वेबसाइट पर 'विनियामक सैंडबॉक्स हेतु सक्षम रूपरेखा' के अंतिम स्वरूप को प्रकाशित किया। रूपरेखा के विभिन्न पहलुओं पर 69 हितधारकों जिनमें फ़िनटेक संस्थाएं, बैंक, बहुपक्षीय एजेंसियां, उद्योग संघ, भुगतान एग्रीगेटर्स, लेखापरीक्षक और विधिक फ़र्म, सरकारी विभाग, व्यक्ति इत्यादि शामिल थे, से कुल 381 पैरा–वार टिप्पणियां / प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सुझावों की जांच की गई और उन्हें फ्रेमवर्क में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

IX. ऑफशोर रुपया बाजार पर कार्य बल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रीमती उषा थोराट, भूतपूर्व उप गवर्नर,भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में ऑफशोर रुपया बाजार पर गठित कार्य बल की रिपोर्ट 8 अगस्त 2019 को जारी की।

कार्य बल की प्रमुख सिफारिशें हैं:

क) विदेशी उपयोगकर्ताओं की पहुंच में सुधार के लिए ऑनशोर बाजार घंटों को बढ़ाया जाए ;

ख) भारतीय बैंकों को चौबीस घंटे वैश्विक ग्राहकों को स्वतंत्र रूप से कीमतों की पेशकश करने की अनुमति;

ग) भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को रुपया डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटाए गए) कारोबार के लिए सक्षम बनाया जाए और आईएफएससी विनिमयों से इसकी शुरूआत की जाए ।

घ) अंतर्निहित एक्सपोज़र को स्थापित किए बिना उपयोगकर्ताओं को ओटीसी मुद्रा डेरिवेटिव बाजार में 100 मिलियन अमरीकी डालर तक विदेशी मुद्रा लेनदेन करने की अनुमति दी जाए।

ङ) गैर–निवासियों को ऑनशोर अपने विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का बचाव करने की सुविधा प्रदान की जाए ।

पूरी रिपोर्ट जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

X. रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधनतंत्र का भाषण

❑ श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त 2019 को इंडियन बैंक एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित वार्षिक वैश्विक बैंकिंग सम्मेलन में Emerging Challenges to Financial Stability पर भाषण दिया।

❑ श्री बी.पी. कानूनगो, उप–गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त 2019 को सिंगापुर में आयोजित फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन के अवसर पर Trade War: Is it a prelude to deglobalisation? पर भाषण दिया।

❑ श्री एम.के. जैन, उप– गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 2019 को मुम्बई में बैंकिंग लोकपाल के वार्षिक सम्मेलन में Consumer Protection in a digital financial world Initiatives and beyond पर भाषण दिया।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।